

संख्या- 3786/15-17-37-63/108/07

प्रेषक,

श्री सतगुरु गौतम,  
सेवा समिति,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,  
सेन्ट बोर्ड आफ सेक्रेटरी एडुकेशन,  
2/19 सेन्ट बिशपस क्वार्टर रोड,  
दौरयानाज, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-17

तद्विषय: दिनांक 15 अप्रैल, 1937

विषय:- सेन्ट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल, धामपुर, बिजनौर को अनापीत प्रमाण पत्र  
दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह बताने का निवेदन हुआ है कि सेन्ट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल,  
धामपुर, बिजनौर को सेन्ट बोर्ड आफ सेक्रेटरी एडुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धित  
प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के  
अधीन अनापीत नहीं है:-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्धक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी पिछड़े एवं निर्धन आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनके उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निश्चित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आवेदन निर्गत किये जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।



6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

(ख) विशेष प्रतिक्रिया

- 1- विद्यालय की प्रबन्धा समिति रीजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमाङ्कित उत्तरा नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का एक कक्षा-कक्षा, दो तकिएपड विद्यार्थी कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें सुधारी जायेगी और उन्हें तदनुयता प्राप्त अत्याधुनिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।
- 4- विद्यालय का सैला-बोला निर्धारित प्रश्नों/ पीपलजों में रखा जायेगा।  
2- उत्तर शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उत्तर शर्तों में से किसी भी शर्त का छोड़कर उत्तर देने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापीत प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भादीय,

संख्या-3786 [11]/15-17-87-तदीनांक

§ सचिव, गुप्तम §  
संयुक्त सचिव।

प्रतिनीति निम्नलिखित के सुपचार्य प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, झाडाबाद।
- 2- उप शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, दिल्ली।
- 4- निरीक्षक, आंश भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धाक, सेन्ट मेरीज कान्फेन्ट स्कूल, धामपुर, दिल्ली।

आज्ञा से,

§ सचिव, गुप्तम §  
संयुक्त सचिव।